अपराधियों का प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास योजना

अपराधियों की उत्पत्ति के स्त्रोत को रोकने और दीर्घकालिक रूप से अपराध की ओर गरीबों का झुकाव कम कर अपराधियों को अपराध से विमुख करने और उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा दुर्दांत अपराधियों के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास की योजना कार्यांवित करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले अपराधियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके ।

पात्रता एवं प्रक्रिया -

1). यह योजना वैसे दुर्दांत अपराधियों के लिए है, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है तथा वे आग्नेयास्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं ।

2). जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक एवं अपराध अनुसंधान विभाग के प्रतिनिधि की स्क्रीनिंग समिति निर्णय लेगी कि आत्मसमर्पण किन्हीं अन्य कारणों से प्रेरित या प्रायोजित नहीं है ।

3). इस योजना का लाभ पुराने निष्क्रिय अपराधकर्मी को न देकर वर्तमान में सक्रिय अपराधियों को ही दिया जायेगा ।

पुनर्वास योजना एवं अन्य लाभ-

1) प्रत्यर्पण करने वाले अपराधी को तात्कालिक सहायता के रूप में 10,000/- रू0 दिये जायेंगे तथा पुनर्वास योजना की स्वीकृति होने तक प्रतिमाह 3,000/- रू0 की सहायता दी जायेगी ।

2) तात्कालिक आर्थिक सहायता, पुनर्वास योजना की राशि, अपराधी की गिरफ्तारी हेतु सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार-राशि अपराधी एवं उसके द्वारा नामित आश्रित , यदि कोई हो तो के संयुक्त नाम से निकट के राष्ट्रीय बैंक/बिहार राज्य सहकारी बैंक या पोस्ट

आफिस में जमा की जायेगी , जिससे प्रतिमाह 3,000/- रू0 से अधिक राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी ।

3) पुनर्वास योजना की अधिकतम राशि 2,00,000/- रू0 होगी जिसका 25 प्रतिशत अनुदान एवं 75 प्रतिशत ऋण स्वरूप होगा ।

4) स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तय की गयी अधिकतम राशि के समतुल्य राशि और/या कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन ।

5) इंदिरा आवास की पात्रता रखने वाले को इंदिरा आवास, पात्रता नहीं होने की स्थिति में, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुमान्य राशि के समान अनुदान राशि सम्मिलित करते हुये बैंको के सहयोग से ऋण स्वीकृत करा कर आवास उपलब्ध कराना ।

6) प्रत्यर्पित अपराधी के विरूद्ध दायर फौजदारी मुकदमा में बचाव के लिये सरकार की ओर से नि:शुल्क वकील की व्यवस्था ।

प्रत्यर्पित हथियारों/विस्फोटकों के लिये प्रोत्साहन-

1) राकेट लांचर - 25,000/- रू०

2) एके-47/56/74 - 15,000/- रू०

3) 303 राईफल/पिस्टल/रिवाल्वर - 3,000/- रू०

4) विस्फोटक सामग्री - 1,000/- रू० (प्रति किलो)

इस योजना के कार्यांवयन की समीक्षा जिला स्तर पर प्रत्येक माह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास समिति (जिसके सदस्य आरक्षी अधीक्षक, उप विकास आयुक्त), प्रमण्डल स्तर पर प्रत्येक तीन माह पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें क्षेत्रीय आरक्षी उप- महानिरीक्षक सदस्य होंगे, की समीक्षात्मक टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी जायेंगी । राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक छ: माह पर की जायेगी, जिसमें विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त, गृह आयुक्त, विधि सचिव एवं पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे ।

नोट : यह निर्देशिका मात्र सुचना हेतु है | इस सम्बन्ध में बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या - बी/विविध-14/2006 “2193” पटना दिनांक 03 मार्च 2006 का सन्दर्भ एवं मूल आधार लिया जाना उचित हैं |